

Central Goods & Services Tax Act, 2017

Section 134 : Cognizance of offences

No court shall take cognizance of any offence punishable under this Act or the rules made thereunder except with the previous sanction of the Commissioner, and no court inferior to that of a Magistrate of the First Class, shall try any such offence.

धारा 134 : अपराधों का संज्ञान

न्यायालय इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान आयुक्त की पूर्व अनुमति के बिना नहीं लेगा और प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से कम का न्यायालय ऐसे अपराध का विचारण नहीं करेगा।
